राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
(जन आधार योजना प्रकोष्ठ)

क्रमांकः एफ17(8)23 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्र.प्र. / 2020 दिनांकः 24.08.2020

जिला कलेक्टर एवं
जिला जन आधार योजना अधिकारी,
समस्त

विषयः— राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत हस्तांतरित लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन आमजन को सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध होने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि "राजस्थान जन आधार योजना" राज्य की एक फ्लेगशिप योजना है, जिसके माध्यम से राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को हस्तांतरित कराये जाते है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 18 (2) के अनुसार "लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की विशिष्टियां (Particular) राज्य के जन सूचना पोर्टल पर सदैव अपलोड की जाएंगी"। इसकी अनुपालना में दिनांक 18.12.2019 से 30.06.2020 तक की अवधि में लाभार्थियों को हस्तांतरित किये गये लाभों का ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ग्राम पंचायतवार एवं शहरी क्षेत्रों हेतु वार्ड संख्यावार प्रशासनिक प्रतिवेदन सामाजिक अंकेक्षण हेतु जन–सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

इन प्रशासनिक प्रतिवेदन को जन सूचना पोर्टल पर देखने की प्रक्रिया का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। आपके जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्र के समस्त वार्डों का प्रशासनिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार डाउनलोड हो रहा है एवं इसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है कि पुष्टि एस.ए. / ए.सी.पी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और उप / सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से कर ली गयी है। तथापि इस संबंध में किसी तकनीकी जानकारी हेतु ई मेल आईडी janaadhaar.des@rajasthan.gov.in पर भी सूचित किया जा सकता है।

"लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की विशिष्टियां (Particular) राज्य के जन सूचना पोर्टल पर सदैव अपलोड की जाएंगी और इस संबंध में यदि कोई आक्षेप प्राप्त होते है तो उनका समाधान भी स्थानीय / सक्षम स्तर पर कराया जाना है। इस हेतु संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आक्षेपों व किये गये समाधान का रिकार्ड संधारित करने हेतु निर्देशित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(8)23 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्र.प्र. / 2020 दिनांकः25.08.2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., योजना भवन, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (जन-आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., योजना भवन, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (ई-मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (यूआईडी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
8. एस.ए., आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक (एसीपी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग समस्त जिले, राजस्थान।
10. एसीपी (उप निदेशक), जन आधार योजना, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., योजना भवन, जयपुर।
11. उपनिदेशक / सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिले, राजस्थान।
12. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निकाय, राजस्थान।
13. उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
14. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी / प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, जन आधार

जन सूचना पोर्टल पर प्रशासनिक प्रतिवेदन को देखने की प्रक्रिया

https://jansoochna.rajasthan.gov.in/

जन सूचना पोर्टल-2019

सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान

चयन करें / Click Here

सेवाओं / योजनाओं के चयन के लिए यहाँ क्लिक करें

Click here for Services / Schemes

21. जन-आधार Jan-Aadhaar

22. ई-मित्र e-Mitra

23. गिरदावरी की नकल Copy of Girdawari

24. Forest Right Act (FRA), Community Forest Rights

25. बिजली के उपभोक्ता Electricity Users

26. विद्युत निरीक्षक (ईआईडी) Electrical Inspectorate(EID)

जन-आधार

Jan-Aadhaar

अपने क्षेत्र के जन-आधार लाभार्थियों की सूचना देखें

Know about Jan-Aadhaar beneficaires in your area

प्रशासनिक प्रतिवेदन

Prashashnik Prativedan

जन-आधार

Jan-Aadhaar

जिला*

जिले का चयन करें

पता : *

शहरी ग्रामीण

पंचायत समिति*

पंचायत समिति चयन करें

ग्राम पंचायत *

ग्राम पंचायत चयन करें

खोजें